

छात्र अभियानों में अभिव्यक्ति और जवाबदेही का मार्ग प्रशस्त करना

सार्वजनिक संपत्ति के वरिष्ठ का समाधान होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों में वोटों की गिनती रोकने के दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने एक महत्वपूर्ण संवैधानिक बहस को सामने ला दिया है - अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच तनाव, जो लोकतांत्रिक जुड़ाव का मुख्य स्तंभ, और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, तथा प्रत्येक नागरिक के उत्तरदायित्व का प्रतिनिधित्व करती है।

भारत जैसे संवैधानिक लोकतंत्र में, स्वतंत्र और नृपिकष चुनावों में भाग लेने का अधिकार मौलिक है, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में जो भविष्य के नेताओं को तैयार करते हैं। वचाराधीन मुद्दा भविष्य के नेताओं के नैतिक आचरण वशिषकर सार्वजनिक संपत्ति, वधिके शासन और नागरिक ज़मिमेदारी के संदर्भ में को दर्शाता है।

छात्रों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नैतिक औचित्य क्या हैं?

■ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता:

- **वशिषध के रूप में कला:** भक्तिचित्तिर, पोस्टर और पश्चे वशिषध और अभिव्यक्ति के पारंपरिक साधन हैं। विश्वविद्यालय परविश में, इस तरह के कार्य छात्रों के असहमति व्यक्त करने और मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के अधिकार का हसिसा हैं।
- **लोकतांत्रिक सहभागिता:** पोस्टर और भक्तिचित्तिर जैसी अभियान सामग्रियाँ छात्रों की भागीदारी को सुगम बनाती हैं और लोकतांत्रिक भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती हैं, जसिसे उम्मीदवारों को अपने वचिरों को व्यापक छात्र समुदाय तक पहुँचाने का अवसर मलिता है।
- **ऐतहासिक संदर्भ:** भारत समेत विश्व भर में छात्र आंदोलनों ने अभिव्यक्ति के लयि प्रायः सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल कया है। दिल्ली में पजिरा तोड़ आंदोलन, जो महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबिधात्मक और लैंगिक भेदभावपूर्ण नयिमों को खत्म करने के उद्देश्य से छात्रों के नेतृत्व में चलाया गया अभियान था, और कोलकाता में छात्रों द्वारा संचालित भक्तिचित्तिर लोकतांत्रिक संवाद को आकार देने में इन अभिव्यक्तियों के सांस्कृतिक महत्त्व को प्रकट करते हैं।

■ नागरिक भागीदारी:

- **छात्रों को सशक्त बनाना:** राजनीतिक अभियानों में भाग लेने और सार्वजनिक स्थानों पर संदेश प्रदर्शति करने से छात्रों को सशक्त महसूस करने और लोकतांत्रिक प्रक्रया से जुड़ने में मदद मलिती है।
- **प्रतिनिधित्व:** इन गतिविधियों पर प्रतिबिध लगाने से छात्रों की अपनी आवाज़ उठाने की क्षमता कम हो सकती है, जसिसे चुनावों की लोकतांत्रिक प्रकृति कमजोर हो सकती है।

■ प्रतिशोध की अभिव्यक्ति के रूप में कला:

- भक्तिचित्तिर और पोस्टर क्रांतिकारी कला रूप माने जाते हैं, जनिका जागरूकता और प्रतिशोध बढ़ाने का लंबा इतहास रहा है।
- वे सामूहिक हताशा, राय साझा करने और सामाजिक आलोचना व्यक्त करने का एक साधन हैं, जो एक जीवंत लोकतांत्रिक समाज के लयि महत्त्वपूर्ण हैं।

नागरिक उत्तरदायित्व की रक्षा के लयि नैतिक वचिर क्या हैं?

■ सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण:

- **प्रबंधन और जवाबदेही:** नेतृत्व करने वाले या नेतृत्व की भूमिका नभिने के इच्छुक लोगों को सार्वजनिक संसाधनों के संरक्षक के रूप में कार्य करना चाहयि। अभियान के उद्देश्यों के लयि सार्वजनिक संपत्ति का उपयोग करना सामुदायिक संपत्तियों के प्रति उपेक्षा दर्शाता है।
- **वधिका शासन:** सार्वजनिक स्थलों को बना रोक-टोक क्षतिग्रस्त करने की अनुमति देना वधिके शासन को कमजोर करता है, तथा साझा स्थानों और सार्वजनिक संसाधनों के प्रति सम्मान के बारे में गलत संदेश देता है।

■ अधिकारों और ज़मिमेदारियों में संतुलन:

- **सामाजिक बनाम वैयक्तिक अधिकार:** यद्यपि छात्रों को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इसे स्वच्छ, अक्षत स्थानों का आनंद लेने के व्यापक सार्वजनिक अधिकारों के साथ संतुलित कया जाना चाहयि।
 - **अनयितरति अभिव्यक्ति** अन्य लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है जो समुदाय का हसिसा हैं।
- **शैक्षणिक संस्थानों की ज़मिमेदारी:** नैतिक मूल्यों को स्थापित करना विश्वविद्यालयों का कर्तव्य है। अनैतिक व्यवहार पर कार्यवाही करने में वफिलता नैतिक मार्गदर्शक के रूप में संस्थान की भूमिका को कमजोर करती है।
 - यह जवाबदेही के सिद्धांत के अनुरूप है और यह सुनिश्चित करता है कि अभिव्यक्ति नागरिक व्यवस्था की कीमत पर न हो।

■ अनैतिक प्रचार को रोकना:

- **अत्यधिक अभियान व्यय की लागत:** उच्च न्यायालय का नरिणय चुनाव प्रचार पर **अत्यधिक व्यय को हतोत्साहित** करता है।
 - इससे एक सशक्त संदेश देकर **नषिकर्षता को बढ़ावा** मलित है कि अभियानों को दृश्यों के बजाय वषिय-वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।
- **अवांछित प्रभाव:** यदि इस पर अंकुश न लगाया जाए, तो अत्यधिक व्यय और सार्वजनिक वरूपण के परणामस्वरूप **अवांछित प्रभाव** उत्पन्न हो सकता है, जहाँ धनी उम्मीदवार हावी हो सकते हैं, तथा समान प्रतिनिधित्व को अनुचित रूप से सीमित कर सकते हैं।

नागरिक उत्तरदायित्व और स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर दारशनिक दृष्टिकोण क्या हैं?

- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम नागरिक उत्तरदायित्व:**
 - **उदारवाद:** उदारवादी दर्शन **वैयक्तिक स्वतंत्रता के महत्त्व** पर बल देता है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल है, जसि अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिये।
 - छात्रों को लोकतांत्रिक जीवन में सक्रिय भागीदार के रूप में देखा जाता है, तथा उनके वरिध करने तथा अपनी बात कहने के अधिकार को बरकरार रखा जाना चाहिये।
 - **नागरिक गणतंत्रवाद:** यह दर्शन व्यक्तिगत अधिकारों को नागरिक कर्तव्यों के साथ संतुलित करने के महत्त्व पर बल देता है।
 - छात्रों सहित नागरिकों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे सामुदायिक स्थानों और वधियों का सम्मान करें तथा यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक संपत्ति सामूहिक भलाई के लिये संरक्षित रहे।
- **परणामवाद (परणाम-आधारित नैतिकता):**
 - **छात्रों की अभिव्यक्ति के लिये:** परणामवादी यह तर्क दे सकते हैं कि भक्तिचित्रों और पोस्टरों की अनुमति देने का व्यापक प्रभाव, बढी हुई लोकतांत्रिक भागीदारी और सहभागिता, सार्वजनिक संपत्ति के अस्थायी वरूपण को उचित ठहराती है।
 - **संपत्ति संरक्षण के लिये:** इसके विपरीत, वे यह भी तर्क दे सकते हैं कि वरूपण के नकारात्मक परणाम (लागत, अव्यवस्था, सार्वजनिक स्थान का ह्रास) **लाभों से अधिक हैं, जसिसे मतगणना रोकने का न्यायालय का नरिणय वैध हो जाता है।**
- **कर्तव्यपरक नीतिशास्त्र (कर्तव्य-आधारित नैतिकता):**
 - **सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने का कर्तव्य:** नैतिक दृष्टिकोण से, सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखना और वधियों को बनाए रखना छात्र की मंशा चाहे जो भी हो, सबसे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य है। अभिव्यक्ति के नाम पर नागरिक कर्तव्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिये।

कौन सी रणनीतियाँ परसिर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ नागरिक ज़िम्मेदारी को संतुलित कर सकती हैं?

- **वैकल्पिक अभियान वधियाँ:**
 - **डजिटल अभियान:** छात्रों को **डजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचार करने** के लिये प्रोत्साहित करें, जसिसे भौतिक पोस्टरों और भक्तिचित्रों की आवश्यकता कम हो जाएगी और साथ ही उन्हें अपने दर्शकों तक प्रभावी ढंग से पहुँचने का अवसर भी मलिया।
 - **नरिदषित स्थान:** वशि्वविद्यालय, **वदियार्थियों को** पोस्टर और भक्तिचित्र प्रदर्शित करने के लिये **वशिषिट कषेत्र** उपलब्ध करा सकते हैं, जसिसे सार्वजनिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बीच संतुलन स्थापित हो सके।
- **नागरिक उत्तरदायित्व पर शैक्षिक कार्यक्रम:**
 - **छात्र जागरूकता:** वशि्वविद्यालयों को **छात्रों को नागरिक ज़िम्मेदारी के बारे में शक्ति करने के लिये अभियान या कार्यशालाएँ** शुरू करनी चाहिये, जसिमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के नैतिक नहितार्थ भी शामिल हों।
 - **सहयोगात्मक सफाई:** छात्र उम्मीदवारों को अभियान के बाद **सार्वजनिक स्थानों की सफाई** में सहयोग करने के लिये प्रोत्साहित करें, जसिसे ज़िम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा मलिया।
- **लचीलेपन के साथ सख्त प्रवर्तन:**
 - **उचित सीमाओं के साथ वनियमन:** सार्वजनिक रूप से वरूपण के बारे में मौजूदा वधियों को लागू करें और सुनिश्चित करें कि छात्र अभी भी ज़िम्मेदार तरीके से अपने वधियार व्यक्त कर सकें। वरूपण की सीमा के आधार पर दंड का पैमाना तय किया जा सकता है।
 - **पुनरस्थापनात्मक उपाय:** केवल जुर्माने के बजाय, **उम्मीदवारों को सामुदायिक सेवा** या सफाई प्रयासों में **योगदान करने की आवश्यकता** हो सकती है, तथा शक्ति के साथ प्रवर्तन को भी शामिल किया जा सकता है।
- **हतिधारकों के बीच संवाद:**
 - **सहयोगात्मक समाधान:** छात्रों, वशि्वविद्यालय के अधिकारियों, नागरिक नकियों और न्यायपालिका को **संवाद में शामिल करें ताकि ऐसे समाधान निकाले जा सकें** जो अभिव्यक्ति की आवश्यकता एवं सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा दोनों का सम्मान करें।

नषिकर्ष

नषिकर्ष रूप में, **छात्र राजनीति युवा लोगों में आलोचनात्मक सोच**, नेतृत्व और नागरिक ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से छात्रों को अपनी राय व्यक्त करने, यथास्थिति को चुनौती देने और सामाजिक प्रगति में **सारथक योगदान** करने का मौका मलित है। **छात्र सक्रियता भवषिय के नेताओं को वकिसति करने** और सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच है, जो बदले में समाज के लोकतांत्रिक ताने-बाने को मज़बूत करता है। यह छात्रों को **शासन** में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिये **कौशल और ज्ञान** से सुसज्जित करता है, यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक संस्थानों के भीतर और बाहर लोकतंत्र के मूल्यों को बरकरार रखा जाए।

जैसा कि **नेल्सन मंडेला** ने सटीक रूप से कहा था, **"आज के युवा कल के नेता हैं।"** यह छात्र सक्रियता की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करता है,

जो न केवल व्यक्तिगत विकास को आकार देता है, बल्कि हमारे समाज का मार्गदर्शन करने वाले लोकतांत्रिक आदर्शों को भी मज़बूत करता है।

दृष्टि मैनस प्रश्न :

प्रश्न. छात्र राजनीतिक संदर्भ में, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के बीच नैतिक तनाव का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। इन दो परतस्पर्धी हतियों के बीच संतुलन कैसे हासिल किया जा सकता है? (15 अंक)

प्रश्न. छात्रों द्वारा राजनीतिक अभिव्यक्ति के लिये सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से जुड़े नैतिक विचारों की जाँच कीजिये। ऐसे स्थानों के लोकतांत्रिक और सम्मानजनक उपयोग को सुनिश्चित करने में नागरिक ज़िम्मेदारी की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (15 अंक)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/navigating-expression-and-accountability-in-student-campaigns>

